19.01.2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अधिवक्ता उभयपक्ष ने दिनांक 10.01.2023 को प्रार्थना–पत्र वास्ते उक्त अनवान की पत्रावली को तलब कर सुनवाई करने पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान के मौजीज व्यक्तियों द्वारा मिल बैठ कर आपसी समझाईश व मौका की स्थिति को देखते हुए हल्का पटवारी व आर आई को बुलवा कर हम अपीलांटस तथा उतरदातागण ने यह स्वीकार किया कि वर्तमान में कब्जे काश्त के अनुसार जो राजीनामा के साथ विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा प्रस्तुत कर रहे है वह राजीनामा का अभिन्न अंग एवं अंश माना व पढा जावे। हम पक्षकारान के आपस में संबंध मधुर बने रहे है तथा भविष्य में हमारे संबंधों में कोई कटुता ओर आगे न बढे इसलिए माफिक राजीनामा मय नक्शा मय विभाजन को स्वीकार कर इसी अनुसार अमल दरामद हेतु डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे। ताकि उक्त हमारा प्रकरण इसी स्टेज पर समाप्त हो सके। अधिवक्ता उभयपक्ष को उनके द्वारा पेश आवेदन पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा जो कथित राजीनामा पेश किया गया उसका विषय राजीनामा नहीं होकर प्रार्थना–पत्र है। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ पेश विभाजन प्रस्ताव पर न तो उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर है तथा न ही पटवारी व आर आई के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान ने हस्ताक्षर कब व किसकी उपस्थिति में किये गये कोई उल्लेख नहीं है जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील रिमांड करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 145/2014 बनवान चनणा वगै. बनाम हिम्मताराम वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06. 2017 को अपास्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हाजा न्यायालय में राजीनामा के रूप में पेश प्रार्थना–पत्र के साथ पेश विभाजन प्रस्ताव का परिक्षण कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.03.2023 को पेश उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश दिनांक 19.01.2023 को सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर